

प्रेस-नोट

पूर्णियाँ 10 मई। जिला पदाधिकारी द्वारा लगातार चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कार्य जारी है। क्षेत्र भ्रमण के उपरांत प्रतिदिन देर रात्रि तक जिला के वरीय पदाधिकारियों एवं सर्वेक्षण कर रहे टीमों से अद्यतन सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा की जाती है। इस क्रम में किसी प्रकार की षिथिलता या त्रुटियों पाए जाने पर ससमय कार्रवाई का निदेश दिया जा रहा है।

दिनांक-08.05.2015 को माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के द्वारा विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिले के चक्रवात प्रभावित परिवारों को राहत वितरण आदि विषयों पर जिला पदाधिकारी द्वारा समीक्षा की गई। माननीय मुख्यमंत्री से प्राप्त निदेश को तत्काल अमलीजामा देने के लिए 8.5.2015 को ही सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। देर रात्रि तक चली गई वरीय पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा कई सख्त निदेश दिये गये। इस क्रम में जिला पदाधिकारी ने समाहरणालय के सभा कक्ष में विशेष जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त चक्रवाती तूफान एवं भूकंप से क्षति/सर्वेक्षण कार्य के लिए गठित टीम के पदाधिकारी भी समीक्षा में शामिल हुए। सर्वेक्षण टीम ने सर्वेक्षण कार्य को लगभग पूरा कर लिये जाने की बात बताते हुए कहा कि इस कार्य में जिला पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त निदेश का पूर्ण रूपेन पालन किया जा रहा है तथा सर्वेक्षण कार्य में पूरी पारदर्शिता रखी जा रही है।

दिनांक-08.05.2015 को ही अपर समाहर्ता, पूर्णियाँ को भेजे गये पत्र में कसबा प्रखंड के अन्तर्गत वास्तविक लाभुकों की पहचान, गलत पहचानकर्ता, नावालिग एवं बाह्य व्यक्तियों तथा जनप्रतिनिधियों एवं उनके सगे-संबंधियों द्वारा गलत ढंग से राहत प्राप्त करने संबंधी आरोपों की जांच का प्रतिवेदन 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। इस संबंध में किसी प्रकार की त्रुटियों परिलक्षित होने की स्थिति में जिम्मेदार पदाधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का निदेश भी जिला पदाधिकारी द्वारा दी गई है।

जिला पदाधिकारी द्वारा किसी भी षिथिलता एवं लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए राहत एवं सहाय्य कार्यों में षिथिलता एवं लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी/कर्मियों के विरुद्ध अनुषासनात्मक कार्रवाई कि गई है।

पदाधिकारी/कर्मियों के विरुद्ध की गई अनुषासनात्मक कार्रवाई।

जिला पदाधिकारी द्वारा श्री विकास कुमार, परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्णियाँ को आपदा कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप से संबंधित स्पष्टीकरण की मांग की गई है तथा निदेश दिया गया है कि आवंटित प्रखंड में कैंप करते हुये संगत विभागीय प्रावधानों की पूर्ण अनुपालन कर प्रभावित कृषकों को अनुमान्य कृषि ईनपुट अनुदान के नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई यथाशीघ्र सुनिश्चित करायी जाय।

इसी प्रकार श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ से भी स्पष्टीकरण पूछा गया है कि उनके द्वारा कार्यों में अभिरुचि नहीं ली जा रही है तथा प्रभावित कृषकों की सूची (निर्धारित विहित प्रपत्र में) तैयार करने में लापरवाही बरती गई है। जिसके कारण उक्त मद में राशि उपलब्ध रहने के बावजूद कृषि इनपुट अनुदान के भुगतान में बिलंब हो रहा है। पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर इस संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया है।

श्री सतीश कुमार, सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पूर्णियाँ से आपदा कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में स्पष्टीकरण पूछते हुए पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया गया है।

श्री हरिमोहन मिश्रा, उप परियोजना निदेशक आत्मा, पूर्णियाँ से स्पष्टीकरण पूछा गया है कि उनके द्वारा कार्यों में अभिरूचि नहीं लेने के कारण प्रभावित कृषकों की सूची (निर्धारित प्रपत्र में) तैयार करने में लापरवाही बरती गई। जिसके कारण उक्त मद में राशि उपलब्ध रहते हुए कृषि इनपुट अनुदान के भुगतान में बिलंब हो रहा है। पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर इस संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित करें कि उपरोक्त वर्णित कदाचार हेतु क्यों नहीं उनके विरुद्ध निलंबन सहित अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव विभाग को भेज दी जाये।

श्री अनिल जयसवाल, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, मिट्टी जाँच प्रयोग शाला, पूर्णियाँ से भी आपदा संबंधित कार्यों में लापरवाही बरतने के संबंध में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई है। उन्हे लिखा गया है कि उनके द्वारा किए गए कदाचार हेतु क्यों नहीं निलंबित करने एवं अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव विभाग को भेज दी जाय।

कृषि इनपुट (फसल क्षति अनुदान) गृहक्षति सर्वेक्षण

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, बिहार, पटना के द्वारा विडियो कांफ्रेंस में प्राप्त निदेश के आलोक में कृषि इनपुट अनुदान के निमित्त निधि के आवंटन राशि को नियमानुसार दो दिनों के अन्दर प्रभावित फसल क्षति कृषकों के बैंक खाता में आरटीजीएस के माध्यम से भेजने का निदेश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत कृषि कर्मियों के स्तर से वरीय पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण में फसल क्षति की प्राथमिक सूची तैयार की गई है। जांचोपरान्त कम्प्यूटराईज्ड सूची को वेबसाईट पर ससमय अपलोड कराते हुए एक प्रति संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को हस्तगत करने का भी निदेश दिया गया है।

जिला पदाधिकारी द्वारा वर्णित जांच कार्य को पूरा करने का दायित्व संबंधित अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं हल्का कर्मचारी को दिया गया है। जांच कार्य विहित प्रपत्र में की जायेगी, जिसमें प्रभावित किसानों का बैंक खाता संख्या/बैंक का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होगा।

इस जांच कार्य को पूरा कर त्वरित निष्पदान सुनिश्चित करने के लिए अंचल स्तर पर 17 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है जिसमें सभी 14 अंचलों के लिए पदाधिकारी को नामित किया गया है। सूची निम्न प्रकार है:-

क्र0	पदाधिकारी का नाम/पद नाम	आवंटित अंचल
1	श्री कुंदन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्व
2	श्री राणा सुजीत कुमार टुनटुन, जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्णियाँ	के0नगर
3	श्री ओम प्रकाश, निदेशक लेखा प्रशासन, पूर्णियाँ	जलालगढ़
4	श्री राजेश रोषन, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर, पूर्णियाँ	कसवा
5	श्री मुकेश कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पूर्णियाँ	भवानीपुर
6	श्री रविन्द्र कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पूर्णियाँ	रूपौली
7	श्री राजेश कुमार वर्मा, जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं मो0 मस्तकीम, भूमि सुधार उप समाहर्ता, धमदाहा	बी0कोठी
8	श्री सुरेश, वरीय उप समाहर्ता, पूर्णियाँ	श्रीनगर
9	श्री मनोज कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी	बनमनखी
10	श्री आमोद शरण, जिला, भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं श्रीमती शशि सुधा कुमारी, सहा0निदेश0 सा0सु0 को0, पूर्णियाँ	डगरूआ
11	श्री सुनील कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी	बायसी

12	श्री चंदन कुमार मंडल, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बायसी एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ	बैसा
13	श्री प्रकाश यादव, जिला योजना पदाधिकारी, पूर्णियाँ	अमौर
14	श्री कमलेश कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा	धमदाहा

जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि जिन अंचलों में कृषि सलाहकार, कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं अन्य कृषि कर्मियों, जिनके द्वारा फसल क्षति प्रभावित किसानों के सर्वेक्षण एवं सूची तैयार करने के लिए लगाया गया है, का नाम/पदनाम, मोबाईल नम्बर सहित प्रतिनियुक्त अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी को तत्काल उपलब्ध करा दें। ये कर्मी आरटीजीएस के माध्यम से राषि हस्तान्तरण में सहायोग करेंगे। यह कार्य दो दिनों के अन्दर पूरा कर लिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं अनुपस्थिति को गंभीरता से लिये जाने का सख्त चेतावनी जिला पदाधिकारी द्वारा दी गयी है। संविदा कर्मी द्वारा अनियमितता किये पर उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

फसल क्षति(ओला बृष्टि) के आरटीजीएस से संबंधित जिले के सभी 14 प्रखंडों में दिनांक 10.5.2015 तक 26873 लाभुको के बीच 132920023:00 रु0 वितरण किया गया है।

गृह क्षति का सर्वेक्षण

भूकंप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए लगाये गये सर्वेक्षण कार्य विशेष जांच दल द्वारा अंतिम चरण में है। एक सप्ताह के अन्दर बैंक खाता के माध्यम से अनुदान की राषि प्रभावित को प्राप्त हो जाने का लक्ष्य जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मी को निदेश दिया गया है कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही एवं अनियमितता को अत्यंत गंभीरता से लिया जायेगा।

पशु (मृत) अनुदान

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में मृत पशु का सर्वेक्षण कार्य लगभग पूर्ण होने को है। यथाशीघ्र सर्वेक्षण पूर्ण होते ही नियमानुसार अनुदान भुगतान हेतु सर्वेक्षण सूची प्रभावित प्रखंडों में भेज दी जायेगी।

दिनांक—9.05.2015 तक राहत वितरण की स्थिति

पूर्णियाँ नगर निगम क्षेत्र सहित सभी प्रभावित अंचल में कुल प्रभावित परिवारों 144982 के विरुद्ध 114254 परिवारों को 5800.00 के दर से मो0 662673200.00 रु0 नगद अनुदान का वितरण किया जा चुका है। अब तक 18873 परिवारों के बीच सूखा राषन का वितरण किया गया है। इस प्रकार जिला प्रशासन ने प्रभावितों के बीच 14465 सीट्स पॉलीथीन तथा 94812 क्विंटल खाद्यान्न मुहैया कर दिया गया है।

जिला नियंत्रण कक्ष

राहत एवं सहाय्य अनुदान वितरण, भूकंप से क्षति एवं इससे संबंधित अन्य शिकायतों के लिये जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत है। सभी आम जन अपनी हर शिकायत एवं सुझाव जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या— 06454 –241010, 241011, 242319 पर दे सकते हैं। जिला नियंत्रण कक्ष में 24 घंटे पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहते हैं। आम जनो द्वारा इस दूरभाष पर किसी प्रकार की जानकारी दी जा सकती है।

जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी,
पूर्णियाँ